सत्र 2019-20 हेतु छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढाई

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
Y-12-06-2020-1.docx (http://103.203.138.54/news/207472/document/Y-12-06-2020-1.docx)

DESCRIPTION

सत्र 2019-20 हेतु छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढाई

जयपुर, 12 जून। राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन की अन्तिम तिथि बढाकर 30 जून कर दी गई है। पूर्व में यह तिथि 31 मार्च थी।

विभाग के निदेशक श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता ने बताया कि राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अद्र्ध घुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ््यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट www.scholarship.rajasthan.gov.in (http://www.scholarship.rajasthan.gov.in) के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि में संशोधन किया गया है।

उन्होंने बताया कि अब छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारम्भ करने की नवीन तिथि 16 जून 2020 तथा अन्तिम तिथि 30 जून 2020 कर दी गई है। इससे संबधित विस्तृत जानकारी www.scholarship.rajasthan.gov.in (http://www.scholarship.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः तथा कॉल सेन्टर नं0 1800-180-6127 पर प्राप्त की जा सकती है।

SUPPORTING IMAGES